REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 8 | MAY - 2025

समाज में महिलाओ की ऐतिहासिक स्थिति (बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में)

Pradeep Kumar
(Asst. Pro.), Department of History,
Shri Deepchandra Choudhary Mahavidhyalaya, Lalitpur.

ABSTRACT –

बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के अन्य भागों की तुलना में यहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महिलाएं बहुत कमजोर हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, गणेश कुंवरि, मस्तानी, प्रवीण राय, कमल कुंवरि, असगरीबाई आदि बुंदेलखंड की स्त्री–छवि की पहचान हैं। इतिहास ग्रंथों में राज एवं लोकहित की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य करने वालों को स्थायी जगह मिली है तो आम जीवन की स्त्रियों के संघर्ष का उल्लेख लोक साहित्य में मिलता है। संस्कृति और कला के क्षेत्र में बुंदेली स्त्री अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ उपस्थित है। वहां उसका सौंदर्य, सर्जना और श्रमशील रूप लोकनृत्यों, स्थापत्य कलाओं और गाथाओं में विद्यमान है।

KEY WORDS- बुंदेलखंड, महिला आंदोलन, रानी लक्ष्मीबाई.

INTRODUCTION-

बुन्देलखण्ड, जो कि भारत के हृदय स्थल में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, बुन्देलखण्ड ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ की महिलाएँ न केवल घरेलू जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। बुन्देलखण्ड के इतिहास में महिलाओं का योगदान बहुत विविध और प्रेरणादायक है।

बुन्देलखण्ड मध्य भारत का एक भौगोलिक–सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसका विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इस क्षेत्र की मुख्य बोली ''बुंदेली'' है। वर्तमान में बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और उसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई है– वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना , दक्षिण में विंध्य प्लेटो की श्रेणियों, उत्तर–पश्चिम में चंबल और दक्षिण–पूर्व में पन्ना–अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, ''बुंदेलखंड'' के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाँदा और महोबा तथा मध्यप्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया के अलावा भिंड जिले का लहार और ग्वालियर जिले का डबरा और शिवपुरी जिले का करेरा व पिछोर विधानसभा क्षेत्र तथा

रायसेन और विदिशा जिले का कुछ भाग भी शामिल है। बुंदेलखंड में पर्याप्त मात्रा में खनिज पाया जाता है।

Review of literature –

बुंदेलखंड की महिलाओं का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है, जिसमें उनका योगदान न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक था, बल्कि राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र की महिलाएँ समय–समय पर अपनी वीरता, संघर्ष, और साहस के लिए जानी जाती रही हैं। बुंदेलखंड की महिलाएँ न केवल पारंपरिक घरेलू जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, बल्कि समाज और इतिहास के विभिन्न पहलुओं में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा है। बुंदेलखंड की महिलाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत सक्रिय रही हैं। उनका योगदान संगीत, नृत्य, कला और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड में महिलाओं की भागीदारी ने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुंदेलखंड की महिलाओं का इतिहास सिर्फ संघर्ष और वीरता का इतिहास नहीं है, बल्कि यह समाज में उनके योगदान, उनके सांस्कृतिक प्रभाव, और उनके संघर्षों का भी प्रतीक है। चाहे वह रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान शासिकाएँ हों, या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली आम महिलाएँ, सभी ने बुंदेलखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनका योगदान आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में महसूस किया जाता है।

भारतीय इतिहास में महिलाएं–

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान अद्वितीय रहा है। आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की स्थिति, समय, स्थान व दशा के अनुसार बदलती रही है।

भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति समय के साथ–साथ निम्न प्रकार से दर्शायी जा सकती है।

- **सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं–** सिंधु घाटी सभ्यता में लोग सुप्रबंधित एवं महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है, इस समय महिलाओं का स्थान समाज में सर्वोच्च था। यह एक मातृसत्तात्मक, शांतिप्रिय सभ्य समाज था। इसमें महिलाओं को सभी प्रकार की स्वैच्छिक स्वतंत्रता थी। इस समय महिलाओं की स्थिति अति उत्कृष्ट थी।
- **वैदिक और उत्तर वैदिक समय में महिलाओं की स्थिति–** वैदिक काल में स्त्री पुरुष की स्थिति में समानता थी। इस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था और यह भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। **पी. एन. प्रभु** के अनुसार "जहां तक शिक्षा का संबंध था, स्त्री पुरुष की स्थिति सामान्यता समान थी।" इस काल में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय लड़के लड़कियों की शिक्षा साथ साथ होती थी। सह शिक्षा को बुरा नहीं समझा जाता था। इस काल में लड़कियों को अपना जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता थी।

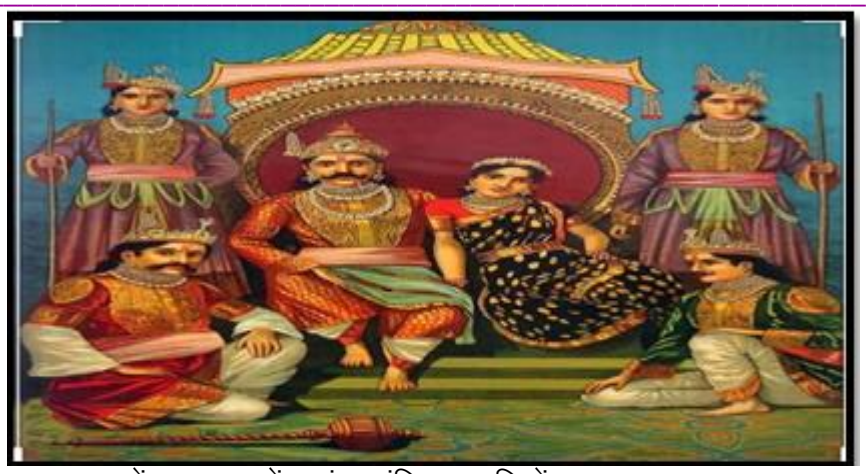

उत्तर वैदिककाल सूत्रों, महाकाव्यों एवं प्रारंभिक स्मृतियों का काल माना जाता था। इस समय तक स्त्रियों की दशा उन्नत और काफी संतोषजनक थी। स्त्रियों की उच्च स्थिति के संदर्भ में **डॉ. ए. एस. अल्तेकर** ने लिखा है कि ''पुरुषों की युद्ध कार्य में लगे रहने के कारण स्त्रियां कृषि, युद्ध सामग्री के निर्माण तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती थी। महिलाएं समस्त अधिकारियों की उपभोक्ता थी एवं उनकी स्थिति उच्च व आदरणीय थी।''

इसमें महिलाओं को शिक्षा एवं समाज में उचित स्थान दिया जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप इस काल में घोषा, अपाला, विश्वधारा व निनावरी आदि विदुषी हुई जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण एवम् रचनाएं भी करती थी।

- **जैन धम एवं बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति–** जैन धर्म और बौद्ध धर्म में नारी की स्थिति सम्मानजनक थी। इसमें नारी को देवी की तरह पूजा जाता था। ध्रत देवी, सच्चिका, तारा देवी व सुलोचना आदि जैन धर्म प्रमुख देवियां थी तथा तारा, हरिती, वागीश्वरी, प्रजापरमिता तथा मरीची आदि बौद्ध धर्म में अनेक देवियां थी। इन धर्मों में नारी का स्थान पूज्यनीय और सर्वोपरि था।
- **सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति–** जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। **डॉ. ए. एस. अल्तेकर** ने बताया कि ''आर्य गृह में अनार्य स्त्री का प्रवेश, स्त्रियों की सामान्य स्थिति की अवनति का मुख्य कारण है। यह अवनति ईसा के करीब 1000 वर्ष पूर्व से धीरे–धीरे अति सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हुई और करीब 500 वर्ष पश्चात काफी स्पष्ट मालूम पड़ने लगी।'' कर्मकांडो की जटिलता के बढ़ने से स्त्रियों का धार्मिक संस्कारों में भाग लेना संभव नहीं रहा। सती प्रथा और जौहर प्रथा प्रमुख रूप से इसमें लगा दी गई।
- **धर्मशास्त्रिय युग में महिलाओं की स्थिति–** इस युग में महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। जो स्त्री ''गृह लक्ष्मी'' के रूप में पूजी जाती थी, अब ''याचिका'' के रूप में दिखाई देने लगी थी। परिवार में माता के रूप में सम्मानित स्त्री को, अब ''सेविका'' के रूप में समझा जाने लगा था।

मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्हें वेदों को पढ़ने और यज्ञ करने से रोक दिया गया। साथ ही उन्हें धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लड़की के रजस्वला होने से पूर्व, विवाह का विधान किया गया। पति की आज्ञा का पालन करना और पारिवारिक दायित्वों को निभाना ही उसका एकमात्र कार्य रह गया और इनके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। मनु महाराज ने स्पष्ट किया है कि ''महिला कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, बचपन में वह पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के बस में व वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहनी चाहिए।''

- **मुगल काल में महिलाओं की स्थिति–** मुगल काल युग में नारी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। क्योंकि इस युग में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण उनका प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि इस युग में ही प्रारंभ हुए।

प्रसिद्ध इतिहासकार, **बी.एन. लुनिया** ने कहा है कि ''मुसलमानों द्वारा कन्याओं का अपहरण करने से, बाल विवाह उस युग की सर्वमान्य प्रथा हो गई थी।'' चूंकि पर्दा प्रथा मुसलमानों में पहले से ही थी। स्वयं रजिया सुल्तान बेगम दरबार में पर्दा करके ही बैठती थी। इसलिए भारतीय समाज में भी इसका असर देखने को मिला और यहां भी स्त्रियों को छुपाया रखा जाने लगा। इस युग में महिलाएं, चारदीवारी में कैद हो कर रह गई थी।

- **अंग्रेजो शासन के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति–** ब्रिटिश काल में स्त्रियों की निर्योग्यता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेजों ने यहां के लोगों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। इसी नीति के कारण उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं किया। इस समय सभी प्रकार के अधिकार पुरुष से ही केंद्रित थे। स्त्रियों का मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति तथा परिवारजनों की सेवा करना था। विवाह विच्छेद(क्पअवतबम) का अधिकार नहीं होने से पति के दुष्चरित्र, क्रूर और अत्याचारी होने पर भी पत्नी को उसके साथ रहना पड़ता था। सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के प्रचलन ने स्त्री शिक्षा में भी विशेष बाधा पहुंचाई। इस समय स्त्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक कार्य करना, अनुचित एवं अनैतिक तक समझा जाता था। आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना उसकी कुलीनता तथा सतीत्व के विरुद्ध माना जाता था।

18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में नारियों की अवस्था शोचनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के अतिरिक्त, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा न थी। जबकि दूसरी ओर धनी व्यक्तियों को एक से अधिक विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, दहेज प्रथा के कारण राजस्थान में कन्या वध का भी प्रचलन था।

जब देश परतंत्र था और पुरुष अंग्रेजों के गुलाम थे तो स्त्रियां राजनीति में कैसे भाग ले सकती थी। उनका संपूर्ण जीवन तो घर की चारदीवारी में ही बीतता था। धीरे–धीरे कुछ समय बाद उच्च वर्ग के कुछ स्त्रियों ने सन 1937 में पति की संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त किया।

- **20वी शताब्दी में स्त्रियों की दशा–** बीसवीं सदी को एक महान परिवर्तन का युग कहा जाता है। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में परिवर्तन हुए।

वर्तमान समय में स्त्रियों में जो परिवर्तन हुए उसके लिए पाश्चात्य संस्कृति सबसे अधिक उत्तरदायी है। पाश्चात्य संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, जो प्रगतिशील विचारधारा एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वभावत इसके संपर्क में आने से अनेकों कुप्रथाओं, कुसंस्थाएं एवं अंधविश्वासों से छुटकारा मिलने लगता है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय नारियां प्राचीन परिस्थितियों को तिलांजलि देने लगी, अपनी स्थिति

और अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझने लगी। पुरुषों की दास के रूप में नहीं बल्कि जीवन संगिनी व जीवन साथी के रूप में अपनी स्थिति की कल्पना करने लगी, घर की चारदीवारी से निकलकर, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर पुरुषों की भांति कार्यों को अपनाने लगी। इतना ही नहीं वे पाश्चात्य नारी समाजों के संपर्क में आकर, नारी सुधार आंदोलन में भाग लेने लगी।

इस समय राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केसव चंद्र सेन, एमजी रानाडे, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, बंकिम चंद चटर्जी, ऐनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि समाज सुधारक हुए जिन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा सिंह सभा जैसी संस्थाओं ने भी समाज में स्त्रियों को उचित स्थान प्रदान करने का प्रचार किया।

वर्तमान समय में स्त्रियों को हर प्रकार की शिक्षा साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक और औद्योगिक प्राप्त करने की सुविधाएं दी गई हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। वर्ष 1917 में मुंबई में स्त्रियों के लिए एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल शिक्षा 74.04ः में से 65.46ः भारतीय स्त्रियों की है। वर्तमान समय में स्त्रियों को नृत्य कला, चलचित्र, नाटक–कला, संगीत एवं चित्रकला आदि सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया गया। स्त्री के लिए कार्य करने के समस्त आर्थिक क्षेत्र खुले है जिनके आधार पर व्यवसाय, नौकरी, वेतन, मजदूरी आदि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

वैसे तो वर्तमान में कोई भी धार्मिक अधिकारों की चिंता नहीं करता परंतु फिर भी क्षेत्र में हिंदू स्त्रियां किसी भी निर्योग्यता से पीड़ित नहीं है। पुरुषों की तरह स्त्री को भी भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी संविधान में प्रत्येक पुरुष की भांति प्रत्येक बालिग स्त्री को मत देने एवं मत प्राप्त करने का अधिकार है। सन 1952 के आम चुनाव में 80 स्त्रियां विभिन्न विधानसभाओं में, 22 लोकसभा तथा 14 राज्यसभा के चुनाव में सफल हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, पंडित विजय लक्ष्मी आदि महिलाओं ने राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाया। अब महिलाएं राजनीतिक मामलों में कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं है।

महिला आंदोलन एवं सुधारवादी कानून–

- **थियोसॉफिकल सोसायटी** – थियोसॉफिकल सोसायटी की स्थापना 1875 में मैडम हैलन पेट्रोवना ब्लेवत्सकी(डकांउम भ्ण) तथा एच. एस. अल्काट(भ्ण) ने की। 1886 में चेन्नई के निकट अडयार नामक स्थान पर थियोसाफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया गया। भारत में इसका नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। इनका जन्म 1847 ई. में आयरलैंड के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1889 ईस्वी में वे इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 16 नवंबर 1893 में इस सोसायटी की सदस्य बनकर भारत आई। 1907 ई. में अल्काट की मृत्यु के बाद सोसायटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुईं।
- **अखिल भारतीय महिला आंदोलन**– स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न संघों ने 1927 में "अखिल भारतीय महिला सम्मेलन" का संगठन किया जिसका प्रमुख उद्देश्य स्त्री शिक्षा का प्रसार करना था। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन पूना में हुआ।
- **सामाजिक सुधार आंदोलन**– इन आंदोलनों से संबंधित समाज सुधारकों ने अनेक सामाजिक कुरीतियों के निवारण के साथ–साथ महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न किया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि ने महिलाओं के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि मामलों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया।
- **सती प्रथा निषेध कानून**– राजा राममोहन राय के प्रयत्न से तत्कालीन गवर्नर जनरल बैंटिक ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाया जो 1833 में क्रियान्वित हुआ था।
- **बालिका वध निषेध अधिनियम**– 1845 में डलहौजी ने बालिका वध निषिद्ध कर दिया और सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 1856 तक इस कुप्रथा का अंत हो गया।

- **वुड घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा प्रसार पर जोर–** 1854 की बुड घोषणा पत्र, स्त्री शिक्षा प्रसार पर बल दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रांतों के शिक्षा विभागों ने स्त्री शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया, किंतु इस क्षेत्र में बहुत धीमी प्रगति हुई, क्योंकि न सरकार ने स्त्री शिक्षा के उत्तरदायित्व को समझा और न जनता ने इसका पक्ष लिया।
- **विधवा विवाह अधिनियम–** विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के मत के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया।
- **अंतर्जातीय विवाह अधिनियम–** 1872 में केशव चंद्र सेन के आग्रह पर सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट पारित किया जिसके अनुसार अंतर्जातीय विवाह वैध हो गए।
- **बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम–** विशेष विवाह अधिनियम पारित 1872 में हुआ जो आगे चलकर 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम के रूप में संशोधित हुआ और उसके द्वारा लड़के लड़की की विवाह आयु निर्धारित कर दी गई।
- **विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम–** यह कानून 1974 में पारित किया गया। इसके अनुसार परिवार की संपत्ति पर महिलाओं को अधिकार दिया गया।

Area of Study –

भारत के केंद्र में स्थित यह क्षेत्र, मुगल काल से बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र धसान नदी के किनारे बसा होने के कारण दर्शाण प्रदेश के नाम से जाना जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व इस क्षेत्र को ''**चेदि महाजनपद**'' के नाम से जाना गया। जिसका उल्लेख ऋग्वेद व महाभारत में भी मिलता है।

7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस प्रदेश को ''**जेजाक भुक्ति**'' के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि चंदेल वंश के तृतीय राजा जेजा या जय शक्ति के नाम पर पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के मदनपुर शिलालेख से यह पता चला कि 12वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति था।

जैजाख्य्या अथनृपति सवभूत जैजाक भ्थ्कत प्रथु इव यथा प्रथिव्या मासीत।

इसका उल्लेख खजुराहो तथा महोवा के अभिलेखो में हैं।

भारत के केंद्र में स्थित यह बुंदेलखंड उत्तरी अक्षांश 23°45′ तथा 26°50′ और पूर्वी देशांतर पर 77°52′ तथा 82°00′ के मध्य स्थित है।

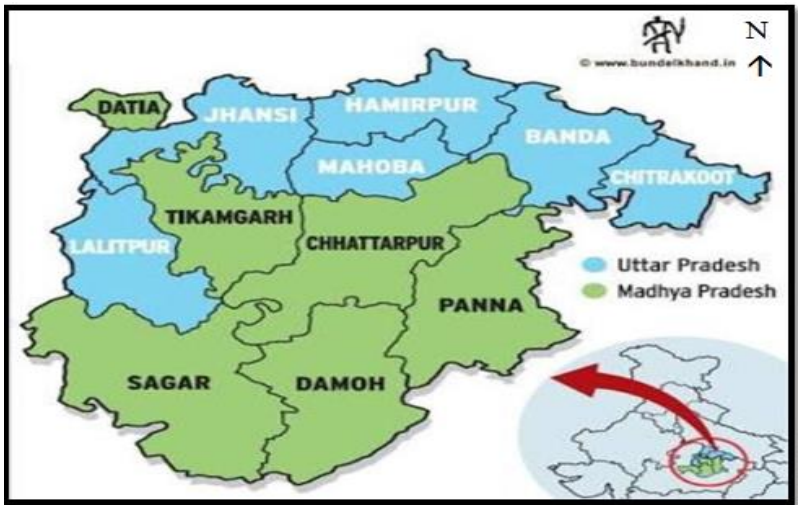

Study Area Map

बुंदेलखंड क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाओं के संबंध में जनश्रुतियों के अनुसार निम्न दोहा क्षेत्र में लोकप्रिय है–

इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस
छत्रसाल सो लरन की, रहू न काहू हांस

इससे स्पष्ट है कि उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में चंबल और पूरब में टोंस नदी तथा विद्यांचल की पहाड़ियां मोटे तौर पर बुंदेलखंड की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करती हैं।

Objective of Research –

- बुंदेलखंड में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
- बुंदेलखंड की महिलाओं का पारिवारिक संरचना में सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययन करना।
- बुंदेलखंड में महिलाओं पर आधुनिकता एवं पश्चिमीकरण का प्रभाव का अध्ययन करना।

Importance of Research –

किसी भी समाज में महिलाओं की महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आधी आबादी माने जाने वाले महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता अतः समाज में स्त्री को बराबरी का अधिकार एवं सम्मान मिलना चाहिए।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य ही नारी की स्थिति एवं दशा का आकलन कर उन्हें नारी शक्ति एवं नारी सुरक्षा के लिए बढ़ावा देना व समूचे बुंदेलखंड की महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना है।

- **बुंदेलखंड की महिलाओं का इतिहास–** बुंदेलखंड भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मध्य में होने के कारण इसका अपना एक सामरिक महत्व है। बुंदेलखंड एक अति पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए अभी तक यहां की नारी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी सामान्य रूप से होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यहां पर शिक्षा की कमी, जागरूकता एवम् पिछड़ापन है। बुंदेलखंड की स्थिति आज भी भारत वर्ष में सामान्य से काफी साल पीछे है। यहां की महिलाएं आज भी, इसके कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि ललितपुर का ग्रामीण क्षेत्र, सामान्य स्थिति से कोसों दूर है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही दुर्बल हैं, हालांकि इन्हें व्यवहारिक रूप से तो अपने अधिकारों का उपयोग करने दिया जाता है लेकिन मौलिक रूप से अधिकार पुरुषों का ही होता है। बुंदेलखंड की सामाजिक स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है यहां पर आज भी कई प्रकार की कुरीतियां और कुप्रथा प्रचलित हैं जैसे कि पर्दा प्रथा । बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आंशिक रूप से पर्दा प्रथा नारी के जीवन पर थोपी गई है। उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मिली है। आज भी बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें स्वतंत्र सोच की मनाही है।

शैक्षिक क्षेत्र में भी बुंदेलखंड क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है यहां पर स्त्रियों को उच्च शिक्षा के लिए सुदूर क्षेत्र जाना पड़ता है। आज के युग में भी नारी की यह स्थिति, अति दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके उपरांत भी बुंदेलखंड क्षेत्र में कई महिला शक्ति का नाम आता है, जैसे झांसी की रानी, मस्तानी, रानी दुर्गावती, फूलन देवी आदि जिन्होंने परिस्थितियों से इतर, संघर्षों से परिपूर्ण जीवन जिया और बुंदेलखंड में नारी शक्ति का परिचय दिया।

झांसो की रानी लक्ष्मीबाई–

झांसी की रानी का जन्म 16 नवंबर 1835 ईस्वी में एक मराठा परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ उसके बाद यह ''लक्ष्मीबाइ'' कहलायी। इन्होंने सामान्य शिक्षा एवं युद्ध कला का प्रशिक्षण पाया था। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद, वे झांसी की शासिका बनी। गंगाधर राव निसंतान थे अतः रानी ने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया व उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना और लॉर्ड डलहौजी की ''हड़प नीति'' का शिकार झांसी राज्य को होना पड़ा। इस नीति के तहत 1853 ईसवी में अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी ने चतुरता से इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और 1857 में हुए विद्रोह से पूर्व ही झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर 24 मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 03 अप्रैल 1858 को हुए युद्ध में, किले का पतन सुनिश्चित जानकर अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से नीचे कूद पड़ी और कालपी की तरफ बढ़ी परन्तु कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार पहले से ही था। वहां से रानी ग्वालियर की तरफ भागी, यहां पर रानी का पीछा अंग्रेजों ने किया। रानी ने इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में उनकी अंगरक्षिकाओं – ''झलकारी बाई व मोती बाई'' ने उनका साथ दिया और उन्होंने वीरगति पाई। दुर्भाग्य से एक नाले को पार करते समय उनका घोड़ा मर गया और लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अपनी मातृभूमि और आजादी के लिए शहीद हो गई। जनरल ह्यूरोज ने उनकी मृत्यु के बारे में कहा था कि ''यहां वह औरत सोई हुई है, जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी।'' झांसी शहर में उनकी याद में बनाए गए स्मारक आज भी उनकी यशोगाथा का वर्णन करता है।

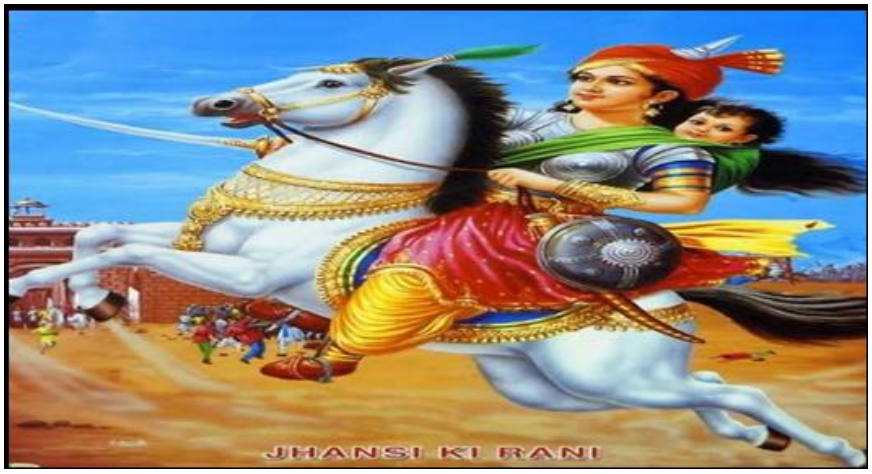

CONCLUSION AND RECOMMENDATION–

बुंदेलखंड की महिलाओं का इतिहास सिर्फ संघर्ष और वीरता का इतिहास नहीं है, बल्कि यह समाज में उनके योगदान, उनके सांस्कृतिक प्रभाव, और उनके संघर्षों का भी प्रतीक है। चाहे वह रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान शासिकाएँ हों, या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली आम महिलाएँ, सभी ने बुंदेलखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनका योगदान आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में महसूस किया जाता है।

किसी भी समाज में महिलाओं की महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आधी आबादी माने जाने वाले महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता अतः समाज में स्त्री को बराबरी का अधिकार एवं सम्मान मिलना चाहिए।

REFERENCES–

1. भगवान गुप्त, मुगलो के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास, 1531–1731, (नई दिल्ली हिन्दी बुक सेन्टर, 1997) च; 3, 85–86
2. बी.एल. वर्मा, ज्योग्राफी ऑफ बुन्देलखण्ड, (नई दिल्लीः राज पब्लिकेशन, 2020)
3. अलेक्जण्डर कनिंघम, दी एनसियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, दी बुदिस्ट पीरियड, (लंदनः टरूबन्रू एण्ड कोपॉरेशन, पेटरनोस्टर, 1871), च; 481–482
4. केशवचन्द्र मिश्र, चन्देल और उनका राजत्व काल, (काशीः नागरी प्रचारिणी सभा, 2011)
5. केशवदास, वीरसिह देव चरित, व्याख्याकार किशोरीलाल, (इलाहाबादः हिन्दी साहित्य सम्मेलन,1996)
6. काशीप्रसाद, बुन्देलखण्ड का सामाजिक–आर्थिक इतिहास, (नई दिल्लीः समय प्रकाशन, 2006),
7. त्रिपाठी, बुन्देलखण्ड का बृहद् इतिहास च; 65,302,304
8. केशवदास, वीरसिह देव चरित
9. केशवदास, रामचन्द्रिका, (बम्बईः श्रीवेड़काटेश्वर यन्त्रालय, 1964)
10. सफिया खान, बुन्देलखण्ड के दस्तावेज, भाग–3, (बीकानेरः मरुभूमि शोध संस्थान, 2014)
11. कृष्णा, बुन्देलखण्ड समाज मे महिलाओं की स्थिति (इंटरने''ानल जनरल ऑफ हिस्ट्री 2024; 6(1): 11–14)
12. विकिपीडिया एवं अन्य समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ।